कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **277**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुरभि कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री रविन्द्र कुमार कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 03, बजरंग चौक, ग्राम जर्वे ''च'' पोस्ट आफिस– पेन्ड्री,
पिन– 495668 ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2520**

अभ्यर्थी का नाम :– **नरेन्द्र सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री राधेश्याम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम दारसागर पोस्ट आफिस– मझवानी थाना कोटा पिन 495116, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2816**

अभ्यर्थी का नाम :– **गीतांजली सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री श्रीपाल सिंह ठाकुर

पत्र व्यवहार का पता:–क्वाटर नंबर आर/33 ए, ब्लाक कालोनी पत्थलगांव, ,
जिला– जशपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4236**

अभ्यर्थी का नाम :– **मोहम्मद रूस्तम**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहम्मद रहमान

पत्र व्यवहार का पता:–क्वाटर नंबर–एस.ई. 217 सी.एस.ई.बी. कालोनी पूर्व कोरबा, पिन कोड 495677,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5042**

अभ्यर्थी का नाम :– **कृष्ण कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री राजकुमार

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– लोफंदी ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 223

अभ्यर्थी का नाम :– **धनेश्वर**

पिता/पति का नाम:– श्री बसंत

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खरोरा, धोबीपारा वार्ड 04, पोस्ट आफिस– बेमचा, तहसील– महासमुंद पिन नं. 493445, जिला– महासमुंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1677**

अभ्यर्थी का नाम :– **घनश्याम चंद्राकर**

पिता/पति का नाम:– श्री छगनलाल चंद्राकर

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 9 कुर्मीपारा बालोद,
जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1732**

अभ्यर्थी का नाम :– **हेमंत कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री रामाधार

पत्र व्यवहार का पता:–रेड़ा, बाराद्वार तहसील– बाराद्वार ,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1908**

अभ्यर्थी का नाम :– **भूपेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री गोपाल प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम इन्द्रप्रस्थ आवास परीसर केरा रोड, पेण्ड्री जांजगीर चांपा छ 0 ग 0,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4238**

अभ्यर्थी का नाम :– **यषवंत कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री रामाधार यादव

पत्र व्यवहार का पता:–एच 0 आई 0 जी0 103 महाराणा प्रताप नगर निहारिका कोरबा, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5035**

अभ्यर्थी का नाम :– **दिलीप सिंह राठौर**

पिता/पति का नाम:– श्री रामकुशल राठौर

पत्र व्यवहार का पता:–कश्यप कॉलोनी बंगाली हॉस्टल बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7446**

अभ्यर्थी का नाम :– **मृत्युंजय पाण्डेय**

पिता/पति का नाम:– श्री वेदप्रकाश पाण्डेय

पत्र व्यवहार का पता:–पंचशील नगर पश्चिम बी0 एस 0 वाय 0 चरोदा भिलाई ,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8382**

अभ्यर्थी का नाम :– **रूक्साना खान**

पिता/पति का नाम:– श्री गोरे खान

पत्र व्यवहार का पता:–नगर पंचायत लवन बलोदा बाजार भाटापारा महामाया मंदिर चौक
वार्ड क्रमांक 06,
जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9028**

अभ्यर्थी का नाम :– **हरिकिशन बरेठ**

पिता/पति का नाम:– श्री फिरत राम

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 11, ग्राम रसौटा, तहसील– पामगढ़, पिन 495554, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **229**

अभ्यर्थी का नाम :– **अजय कुमार शुक्ला**

पिता/पति का नाम:– श्री नरेश शुक्ला

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खैरडोंगरी, पोस्ट आफिस– दुल्लापुर, तहसील– पण्डरिया, पिन नं. 491559,
जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **282**

अभ्यर्थी का नाम :– **रविन्द्र कुमार कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री जोतराम

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 03, बजरंग चौक, ग्राम जर्वे ''च'' पोस्ट आफिस– पेन्ड्री,
पिन– 495668 ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1178**

अभ्यर्थी का नाम :– **आशुतोष मार्वल**

पिता/पति का नाम:– श्री बृष्णो लाल मार्वल

पत्र व्यवहार का पता:–एम. आई.जी. 54 राजेन्द्र प्रसाद नगर कोरबा,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1816**

अभ्यर्थी का नाम :– **एजाज**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहम्मद बशीर

पत्र व्यवहार का पता:–मां भवानी नगर गली नं. 2 सिरगिटटी बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2466**

अभ्यर्थी का नाम :– **पुष्पलता पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री लाल बहादुर पटेल

पत्र व्यवहार का पता:–पटेल च्वाइस सेंटर बस स्टैण्ड के समीप नगर पंचायत धुरीकला वार्ड नंबर 10 तहसील कटघोरा, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2891**

अभ्यर्थी का नाम :– **गौरव नाथ योगी**

पिता/पति का नाम:– श्री पुरूषोत्तम नाथ योगी

पत्र व्यवहार का पता:–ब्लाक नंबर 35 सेक्टर 27 नवा रायपुर, पिन नं. 492018, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3353**

अभ्यर्थी का नाम :– **क्षमा सागर तांडी**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 लखीधर तांडी

पत्र व्यवहार का पता:–जी–11 न्यायिक कर्मचारी आवासीय परिसर चक्रधरनगर रायगढ़ , जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 3502

अभ्यर्थी का नाम :– **अभिनव संजय वडनेरकर**

पिता/पति का नाम:– श्री संजय काशीनाथ वाडनेरकर

पत्र व्यवहार का पता:–सड़क न 0 13 इंद्रावती नगर सिंहा भवन कोहका, के पास भिलाई दुर्ग,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3545**

अभ्यर्थी का नाम :– **नंदिनी यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री अनुप कुमार यादव

पत्र व्यवहार का पता:–तुषार घोष, इंदिरा कॉलोनी, पुराना टंकी के पास तारबहार
बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5860**

अभ्यर्थी का नाम :– **आनंद कौशिक**

पिता/पति का नाम:– श्री सुखसागर कौशिक

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–अमसेना, पोस्ट– सकर्रा चकरभाठा, थाना–हिर्री , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6229**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुमित कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहित राम यादव

पत्र व्यवहार का पता:–महामाया पारा वार्ड नं. 04, नवागढ़ पिन 491337,
जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7855**

अभ्यर्थी का नाम :– **हितेश कुमार देशलहरे**

पिता/पति का नाम:– श्री सरोज कुमार देशलहरे

पत्र व्यवहार का पता:–गुरू घासी दास वार्ड नम्बर 44 कसारीडीह दुर्ग ,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8618**

अभ्यर्थी का नाम :– **कृष्ण चन्द्र श्रीवास**

पिता/पति का नाम:– श्री नारायण प्रसाद श्रीवास

पत्र व्यवहार का पता:–ब्राम्हण पारा वार्ड क्रमांक 05, बड़े मठ के पास चाम्पा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **351**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिल कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बसंत कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 19 ग्राम व पोस्ट आफिस– नरियरा,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **737**

अभ्यर्थी का नाम :– **भागवत दास महंत**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 सुफल दास

पत्र व्यवहार का पता:–मानस नगर वार्ड न 0 17 कोरबा,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 817

अभ्यर्थी का नाम :– **संगीता**

पिता/पति का नाम:– श्री सालिक राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम बुन्देली, पोस्ट आफिस– जवाली, तहसील– कटघोरा, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **984**

अभ्यर्थी का नाम :– **हिमांशु तिवारी**

पिता/पति का नाम:– श्री योगेश तिवारी

पत्र व्यवहार का पता:–रिंग रोड क्रमांक–2 वार्ड क्रमांक 17 नर्मदा नगर बिलासपुर डॉ. भूपेन्द्र कश्यप के घर के पास , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1519**

अभ्यर्थी का नाम :– **जोहित कुमार कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री रामाधीन कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– पेण्ड्री, तहसील– जैजैपुर, जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1750**

अभ्यर्थी का नाम :– **तसलीम अंसारी**

पिता/पति का नाम:– श्री गेयासुद्दीन अंसारी

पत्र व्यवहार का पता:–नूरानी मस्जिद के पास मोमीन पारा अंबिकापुर सरगुजा ,
जिला– सरगुजा स्थान अंबिकापुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1787**

अभ्यर्थी का नाम :– **शिवानी बनवाले**

पिता/पति का नाम:– श्री समी लाल

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 11 गार्डन रोड़ गर्रा जिला बालाघाट,
जिला– बालाघाट, (मध्यप्रदेश)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 2145

अभ्यर्थी का नाम :– **योगेश्वरी नायक**

पिता/पति का नाम:– श्री चंद्रप्रकाश नायक

पत्र व्यवहार का पता:–संतोषी पारा जागृति चौक कैंप 2 भिलाई पिन 490001, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2478**

अभ्यर्थी का नाम :– **चूड़ामणी साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री नेमचंद

पत्र व्यवहार का पता:–ब्लाक 12/डी सड़क–30 सेक्टर–4 भिलाई नगर पिन 490001, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3500**

अभ्यर्थी का नाम :– **तरूण कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री किशोरी लाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पोडी राछा पापे0 गोधना तहसील– नवागढ़ ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3598**

अभ्यर्थी का नाम :– **टिकेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री कौशल प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–इण्डोर हाल के सामने कोरवा पारा वार्ड नं. 20 चाम्पा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3812**

अभ्यर्थी का नाम :– **वेदप्रकाश**

पिता/पति का नाम:– श्री रामेश्वर लाल

पत्र व्यवहार का पता:–वेदप्रकाश पिता रामेश्वर आर्या रेसीडेन्सी, वार्ड नं. 19, जांजगीर पिन नं. 4956688,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3883**

अभ्यर्थी का नाम :– **ईश्वर प्रसाद कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री रामविलास

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट– सलखन, वार्ड नं. 03, खाल्हे पारा, थाना शिवरीनारायण, पिन नं. 495556 , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3893**

अभ्यर्थी का नाम :– **जागबली यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री मनमोहन

पत्र व्यवहार का पता:–अनिता भवन जैन मंदिर के पास महर्षि चौक मंगला,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4777**

अभ्यर्थी का नाम :– **पायल देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री देवी प्रसाद देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–चारपारा कोहडिया वार्ड क्रमांक 16 ,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5816**

अभ्यर्थी का नाम :– **विनोद कुमार श्रीवास**

पिता/पति का नाम:– श्री मालिक राम श्रीवास

पत्र व्यवहार का पता:–ए ब्लाक कमरा नम्बर 23 प्रधानमंत्री आवास मधुबन रोड दयालबंद , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5878**

अभ्यर्थी का नाम :– **मनीष कुमार कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री श्रवण कुमार कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– तहसील– जरहागांव ,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7426**

अभ्यर्थी का नाम :– **शालू**

पिता/पति का नाम:– श्री नरोत्तम

पत्र व्यवहार का पता:–तोरवा धान मण्डी के पीछे बुढ़ादेव नगर, पोस्ट आफिस– तोरवा बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7494**

अभ्यर्थी का नाम :– **विकास सिंह राजपूत**

पिता/पति का नाम:– श्री परस राम राजपूत

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्रमांक 12, कुंदरापारा लोरमी ,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 7735

अभ्यर्थी का नाम :– **सूर्यकांत स्वर्णकार**

पिता/पति का नाम:– श्री सतीश कुमार स्वर्णकार

पत्र व्यवहार का पता:–दीप्ति विहार कॉलोनी कलेक्टर बंगला के सामने जांजगीर, पोस्ट आफिस– जांजगीर ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7911**

अभ्यर्थी का नाम :– **भास्कर शर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री लक्ष्मण शर्मा

पत्र व्यवहार का पता:–पी.डब्लू.डी.–85 पुलिस लाईन सेक्टर–6 भिलाई नगर पिन 490006,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **67**

अभ्यर्थी का नाम :– **लीला राम साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री लखन राम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– किखई तहसील– राजीम पिन 493885, जिला– गरियाबंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **91**

अभ्यर्थी का नाम :– **कृष्ण कुमार मनहर**

पिता/पति का नाम:– श्री लीलाराम मनहर

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– कुरदा तहसील व थाना– चांपा, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **242**

अभ्यर्थी का नाम :– **अरविन्द कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री कृष्णकुमार

पत्र व्यवहार का पता:–नराई बोध बाजार पारा, पोस्ट आफिस– गेवरा बस्ती कुसमुण्डा,
तहसील– कटघोरा, पिन 495454,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **643**

अभ्यर्थी का नाम :– **नरेश कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री सीताराम यादव

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम कुदुदण्ड पानी टंकी के सामने बिलासपुर पिन 495001, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 722

अभ्यर्थी का नाम :– **अंशुमान पाण्डेय**

पिता/पति का नाम:– श्री संतोष पान्डेय

पत्र व्यवहार का पता:–छायालांड्री के पीछे आदर्श नगर फेस–2, देवरीखुर्द बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **747**

अभ्यर्थी का नाम :– **बिंदु पाली**

पिता/पति का नाम:– श्री देवी सिंह पाली

पत्र व्यवहार का पता:–दन्तेश्वरी वार्ड पाली पारा कवर्धा,
जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **808**

अभ्यर्थी का नाम :– **अंकित पाण्डेय**

पिता/पति का नाम:– श्री रामसनेही पाण्डेय

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम भड़ेसर पोस्ट आफिस– धनेली तहसील– जांजगीर, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **901**

अभ्यर्थी का नाम :– **चंद्रकिशोर धनुर्वेद**

पिता/पति का नाम:– श्री भुनेश्वर प्रसाद धनुर्वेद

पत्र व्यवहार का पता:–आर.डी.ए. कॉलोनी, आर–211, बोरियाखुर्द, पोस्ट आफिस– सुंदर नगर, पिन नं. 492013 ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1066**

अभ्यर्थी का नाम :– **राजेन्द्र कुमार घृतलहरे**

पिता/पति का नाम:– श्री भावदास घृतलहरे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम गोतियारडिह पोस्ट आफिस– अभनपुर थाना अभनपुर , जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1334**

अभ्यर्थी का नाम :– **दानवीर सिन्हा**

पिता/पति का नाम:– श्री यादराम सिन्हा

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पतोरी पोस्ट आफिस– बेलर तहसील– राजिम, जिला गरियाबंद,
जिला– गरियाबंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1682**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रवीण सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री पुहकल सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम चमारी पोस्ट आफिस– गीधा तहसील मुंगेली, जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1788**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रकाश पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री रामस्वरूप पटेल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पोस्ट सोनौरा तहसील–हुजूर जिला रीवा, जिला– रीवा, (मध्यप्रदेश)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1826**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुनील कुमार मिरी**

पिता/पति का नाम:– श्री राजकुमार मिरी

पत्र व्यवहार का पता:–भथरी नपनपारा पोस्ट आफिस– तखतपुर थाना जरहागांव , जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1897**

अभ्यर्थी का नाम :– **रितेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व०डेनियल कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–एलआईजी. 501 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आकांक्षा मेडिकल स्टोर के पीछे दतरेंगा रोड ग्राम–सेजबहार, रायपुर, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1940**

अभ्यर्थी का नाम :– **मितेश कुमार जोगी**

पिता/पति का नाम:– श्री संतोष कुमार जोगी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सिविल लाईन पुराना हास्पिटल के पीछे वार्ड क्र 0 22 जांजगीर, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2281**

अभ्यर्थी का नाम :– **अजय देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री संतोष देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–कृष्णा नगर जनक बाई घाट बनियापारा जूना बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2284**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रकाश साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहन लाल

पत्र व्यवहार का पता:–प्रभात चौक चिंगराजपारा,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2364**

अभ्यर्थी का नाम :– **बंटी सिंह ठाकुर**

पिता/पति का नाम:– श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर

पत्र व्यवहार का पता:–दशहरा मैदान मवेशी बाजार उतई तह व जिला दुर्ग पिन नंबर 491107,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2420**

अभ्यर्थी का नाम :– **संतोष कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 रामाधर साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्रा0 मिस्दा भदरा चौक लेवापारा ब्लॉक शिवनारायण पिन 495557, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2661**

अभ्यर्थी का नाम :– **रमेश सूर्यवंशी**

पिता/पति का नाम:– श्री पूरनलाल सूर्यवंशी

पत्र व्यवहार का पता:–पुराना जिला चिकित्सालय के सामने सागर चश्मा घर वार्ड नं. 17
पिन 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2787**

अभ्यर्थी का नाम :– **मनोज कुमार रात्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री रामेश्वर प्रसाद रात्रे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम औराईकला परसहन पारा पोस्ट आफिस– सरखो तहसी बलौदा
थाना नैला, 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2957**

अभ्यर्थी का नाम :– **सूर्यमणि चंद्रवंशी**

पिता/पति का नाम:– श्री गुनाराम चंद्रवंशी

पत्र व्यवहार का पता:–जी श्याम नगर, गली नं. 07, वार्ड नं. 08, कवर्धा 491995, जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3064**

अभ्यर्थी का नाम :– **शिवा खाण्डे**

पिता/पति का नाम:– श्री रोहित खाण्डे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम तुरकाडीह पोस्ट आफिस– घुटकु तहसील– तखतपुर थाना कोनी ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3228**

अभ्यर्थी का नाम :– **अखिलेश कुमार पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री विजय कुमार पटेल

पत्र व्यवहार का पता:–म 0 न 0 18 क्रिस्टल लि कॉलोनी मोपका, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3374**

अभ्यर्थी का नाम :– **दीपक कुमार कैवर्त्य**

पिता/पति का नाम:– श्री धनाराम कैवर्त्य

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सेमरिया पोस्ट आफिस– कोयदा तहसील– लवन, जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3692**

अभ्यर्थी का नाम :– **शिवानी भोंसले**

पिता/पति का नाम:– श्री विजय कुमार भोंसले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सिलदहा, तह पथरिया, पोस्ट आफिस– आफिस सिलदहा , जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3696**

अभ्यर्थी का नाम :– **आशीष यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री मनीराम यादव

पत्र व्यवहार का पता:–श्रीराम यादव, एलआईजी 438, सेक्टर 04 दीनदयाल कालोनी
मंगला बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 3722

अभ्यर्थी का नाम :– **गौतम कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री सोनउ

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्र. 15 हीरागीर दफाई, हल्दी बाड़ी चिरमिरी, जिला एम.सी.बी. पिन नं. 497451, जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3804**

अभ्यर्थी का नाम :– **माणिकचंद निर्मलकर**

पिता/पति का नाम:– श्री रामकुमार

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– हरदी जर्वे महामाया मोहल्ला, पिन नं. 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3821**

अभ्यर्थी का नाम :– **अवधेश साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री सीताराम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–धोबनिन तालाब पार ग्राम मेहन्दा, पोस्ट आफिस– कुटरा, पिन नं. 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3836**

अभ्यर्थी का नाम :– **मनोज कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री नंदकुमार

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– हसुवा, व्हाया कटगी, थाना गिधौरी,
तहसील– टूण्डरा, पिन नं. 493344,
जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4069**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रशांत कुमार तिवारी**

पिता/पति का नाम:– श्री अश्वनी कुमार तिवारी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम जोकी पोस्ट आफिस– सकरी बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4589**

अभ्यर्थी का नाम :– **पदुम कुमार मोदी**

पिता/पति का नाम:– श्री बजरंगी मोदी

पत्र व्यवहार का पता:–सर्वमंगला नगर दुरपा पोस्ट.दुरपाए थाना.कुसमुण्डाए तहसील– कटघोरा,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4596**

अभ्यर्थी का नाम :– **लोकेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बी0 पी0 यादव

पत्र व्यवहार का पता:–म्0 न 0 31 ए 281 नेताजी चौक न्यू शांतिनगर शंकर नगर रायपुर, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5084**

अभ्यर्थी का नाम :– **भावना कौशिक**

पिता/पति का नाम:– श्री बलदाऊ कौशिक

पत्र व्यवहार का पता:–कौशिक मेडिकल स्टोर, वार्ड 47 न्यू खुर्सीपार भिलाई दुर्ग , जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5483**

अभ्यर्थी का नाम :– **शांतनु मरकाम**

पिता/पति का नाम:– श्री पुरन सिंह मरकाम

पत्र व्यवहार का पता:–पथरिया वार्ड नं. 17, इंदिरा चौक जॉन चिकन के पास पिन 495677,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5516**

अभ्यर्थी का नाम :– **श्रद्धा सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री कैलाश सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–एमआईजी ए–18 चंदेला नगर रिंग रोड नंबर–2,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5546**

अभ्यर्थी का नाम :– **श्याम कुमार विश्वकर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री कामेश्वर विश्वकर्मा

पत्र व्यवहार का पता:–रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ, नारायणपुर,
जिला– नारायणपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5563**

अभ्यर्थी का नाम :– **चन्द्रमणी**

पिता/पति का नाम:– श्री खगेश्वर प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पोस्ट आफिस– तिउर तहसील खरसिया,
जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5732**

अभ्यर्थी का नाम :– **कृष्ण कुमार तिवारी**

पिता/पति का नाम:– श्री शंकर दयाल तिवारी

पत्र व्यवहार का पता:–पी.एच.ई.कॉलोनी पोंडी वेस्ट चिरमिरी वार्ड नम्बर 01,
जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5843**

अभ्यर्थी का नाम :– **छन्नू लाल साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री पंचू राम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–साराडीह, पोस्ट आफिस– गाड़ाभाठा, तहसील– पलारी , जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6154**

अभ्यर्थी का नाम :– **विवेक जायसवाल**

पिता/पति का नाम:– श्री नरेन्द्र कुमार जायसवाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– तारापुर, तहसील– रायगढ़, पिन 496001, जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6171**

अभ्यर्थी का नाम :– **विकास कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री दिलहरण

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम– कापूबहरा, मंदिरपारा, पोस्ट आफिस– कटघोरा कोरबा , जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6245**

अभ्यर्थी का नाम :– **ऋतु मानिकपुरी**

पिता/पति का नाम:– श्री सुखसागर दास

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– ग्राम तिलई, तहसील– अकलतरा, , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6360**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुमरिता पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री परदेशी पटेल

पत्र व्यवहार का पता:–सड़क नम्बर 01, सेक्टर–04 भिलाई ,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6663**

अभ्यर्थी का नाम :– **भागेश सार्वे**

पिता/पति का नाम:– श्री हरिओम सार्वे

पत्र व्यवहार का पता:–हरिओम सार्वे 74 सिरसा खुर्द पोस्ट आफिस– जेवरा सिरसा दुर्ग पिन 491001,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6760**

अभ्यर्थी का नाम :– **आयुष विश्वकर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री अशोक

पत्र व्यवहार का पता:–प्रभात चौक अपोलो रोड चिंगराज पारा बिलासपुर पिन 495006, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6928**

अभ्यर्थी का नाम :– **ईश्वरी प्रसाद**

पिता/पति का नाम:– श्री रामाधीन

पत्र व्यवहार का पता:–हॉली क्रास स्कूल के पास वार्ड नं. 17 राकेश किराना कवर्धा पिन 491995,
जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7065**

अभ्यर्थी का नाम :– **सागर कुमार कसार**

पिता/पति का नाम:– श्री निर्मल कुमार कसार

पत्र व्यवहार का पता:–सागर कसार शनिचरी बाजार लंगूरवीर चौक के पास दुर्ग , जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7363**

अभ्यर्थी का नाम :– **तितली बघेल**

पिता/पति का नाम:– श्री भागवत बघेल

पत्र व्यवहार का पता:–उत्कल नगर आकाशवाणी ऑफिस के बाजू राज भवन रोड़ सिविल लाईन रायपुर ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7584**

अभ्यर्थी का नाम :– **तरूण देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री जवाहर देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–कृष्णा नगर जूना बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7776**

अभ्यर्थी का नाम :– **नीति सिंह राजपूत**

पिता/पति का नाम:– श्री मनीष राजपूत

पत्र व्यवहार का पता:–एच/0 मनीष राजपूत दीन दयाल कालोनी खोखरा भाग मकान नंबर 113 जांजगीर चांपा पिन 495668, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7814**

अभ्यर्थी का नाम :– **आशीष कुमार दुबे**

पिता/पति का नाम:– श्री रामकुमार दुबे

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नम्बर 15 नयापारा बेमेतरा ,
जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7886**

अभ्यर्थी का नाम :– **हेमंत**

पिता/पति का नाम:– श्री नेतराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–भैंसा, पोस्ट आफिस– बालमुकुन्द ,
जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8623**

अभ्यर्थी का नाम :– **नरेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री रेखा राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–तिल्दा, पोस्ट आफिस– लच्छनपुर, तहसील– पलारी, जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8866**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रवीण तिवारी**

पिता/पति का नाम:– श्री अनिल तिवारी

पत्र व्यवहार का पता:–पुरानी संतोषी मंदिर के पास चांटीडीह सरकण्डा बिलासपुर , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9067**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रसन्न कुमार दुबे**

पिता/पति का नाम:– श्री प्रफुल्ल कुमार दुबे

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्रमांक 03, दम्मानी कॉलोनी प्रसन्न कूंज गोबरा नवापारा,
तहसील– नवापारा रायपुर ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3267**

अभ्यर्थी का नाम :– **दमयन्ती वर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहनलाल वर्मा

पत्र व्यवहार का पता:–क्वां. नं. एस.ई./ 593 सी.एम.ई.बी. कॉलोनी कोरबा पूर्व पिन नं. 495677,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3891**

अभ्यर्थी का नाम :– **खुशबू गुप्ता**

पिता/पति का नाम:– श्री अभिषेक गुप्ता

पत्र व्यवहार का पता:–आर्शीवाद भवन समता विहार टिकरापारा बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8123**

अभ्यर्थी का नाम :– **ऐश्वर्या देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री बसंत देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–कुम्हारपारा विद्यालय के सामने करबला ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **689**

अभ्यर्थी का नाम :– **दिव्यानी गुप्ता**

पिता/पति का नाम:– श्री रविशंकर गुप्ता

पत्र व्यवहार का पता:–मोवा आदर्श नगर वार्ड नं. 10 मकान 2381 पो. सडढू, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 716

अभ्यर्थी का नाम :– **बुन्देश्वरी मैत्री**

पिता/पति का नाम:– श्री सूर्यकांत ठाकुर

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड न 0 09, शिवमोहल्ला, उनी पोस्ट आफिस– आ 0 खम्हरिया, बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1591**

अभ्यर्थी का नाम :– **चांदनी देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री शिवप्रसाद देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–रामकुमार पेंटर के सामने करबला रोड बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1641**

अभ्यर्थी का नाम :– **पल्लवी श्रीवास्तव**

पिता/पति का नाम:– श्री रवि श्रीवास्तव

पत्र व्यवहार का पता:–कुरूद बाडी करबला रोड कुम्हार पारा स्कूल के सामने बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1796**

अभ्यर्थी का नाम :– **श्रद्धा थवाईत**

पिता/पति का नाम:– श्री पंचराम थवाईत

पत्र व्यवहार का पता:–न्यू चंदनिया पारा जॉजगीर वार्ड नं. 7 पो.व तहसील– जॉजगीर , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1801**

अभ्यर्थी का नाम :– **ममता साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री गजाधर प्रसाद साहू

पत्र व्यवहार का पता:–कीर्ति नगर नयापारा सिरगिटटी वार्ड नं. 11 बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 2001

अभ्यर्थी का नाम :– **मंजुलता मण्डावी**

पिता/पति का नाम:– श्री गजेन्द्र कुमार मण्डावी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खैरखेड़ा पो.लखनपुरी तहसील– चारामा ,
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2462**

अभ्यर्थी का नाम :– **कामिनी यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री लखनलाल यादव

पत्र व्यवहार का पता:–कृष्णा सदन जोरापारा सरकंडा बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का
स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4747**

अभ्यर्थी का नाम :– **रश्मि सिंह ठाकुर**

पिता/पति का नाम:– श्री रणछोड सिंह ठाकुर

पत्र व्यवहार का पता:–बी.आर. यादव नगर वार्ड क्र. 49 महामाया पारा बहतराई बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5109

अभ्यर्थी का नाम :– **लक्ष्मी यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 श्री रंजीत यादव

पत्र व्यवहार का पता:–मां भवानी नगर, बोरियाखुर्द नियर श्री हरि ज्वेलर्स पोस्ट आफिस–
सुंदर नगर रायपुर ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6081**

अभ्यर्थी का नाम :– **सरस्वती देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री मनीष देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–देवांगन ऑटो पार्टर्स नागोराव स्कूल के सामने मेन रोड जूना बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6951**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिता साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री रविशंकर साहू

पत्र व्यवहार का पता:–नया सरकंडा बंगाली पारा बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8102**

अभ्यर्थी का नाम :– **सोनल दुबे**

पिता/पति का नाम:– श्री नीलमणी दुबे

पत्र व्यवहार का पता:–शिवम विला मलसाय तालाब के पास पीयूष नगर कुशालपुर रायपुर , जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8551**

अभ्यर्थी का नाम :– **श्वेता राजपूत**

पिता/पति का नाम:– श्री द्वारिका सिंह राजपूत

पत्र व्यवहार का पता:–बी/1 पी.टी.एस. माना कैम्प रायपुर ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8621**

अभ्यर्थी का नाम :– **करूणा कंवर**

पिता/पति का नाम:– श्री थान सिंह कंवर

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नम्बर 07, ग्राम–मकुंदपुर, पोस्ट आफिस– सोहागपुर कोरबा
,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9011**

अभ्यर्थी का नाम :– **अंजू कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री दिलेश्वर प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– हरदी, तहसील– नवागढ़, पिन 495668, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9044**

अभ्यर्थी का नाम :– **नीतू वर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री कृष्ण कुमार वर्मा

पत्र व्यवहार का पता:–इंदिरा नगर हथखोज वार्ड नं. 01 भिलाई पिन 490026, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9056**

अभ्यर्थी का नाम :– **उर्वशी**

पिता/पति का नाम:– श्री गंगा राम

पत्र व्यवहार का पता:–सिंघोला पूरसबिरही, पोस्ट आफिस– सिंघोला, थाना डौडी, पिन 491226,
जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **68**

अभ्यर्थी का नाम :– **कुमारी रीता झारिया**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 श्री ज्वाला प्रसाद झारिया

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नंबर 921 वार्ड नं. 4 ज्योति किराना स्टोर्स रायानगर, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **87**

अभ्यर्थी का नाम :– **मयुरी देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री गणेश राम

पत्र व्यवहार का पता:–मॉ भवानी नगर गली नं. 2 सिरगिट्टी बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **224**

अभ्यर्थी का नाम :– **रूबिना**

पिता/पति का नाम:– श्री अगर दास चेलक

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम बरबसपुर, पो.एवं तहसील– कवर्धा, पिन नं. 491995 , जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **993**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रभा**

पिता/पति का नाम:– श्री फुलसिंह

पत्र व्यवहार का पता:–इंदु चौक बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1356**

अभ्यर्थी का नाम :– **रेशमा बनवाले**

पिता/पति का नाम:– श्री दयानंद बनवाले

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड न 0 11 समनापुर रोड अमोली, पोस्ट–लालबर्रा, तहसील–लालबर्रा,
जिला– बालाघाट, (मध्यप्रदेश)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1491**

अभ्यर्थी का नाम :– **संध्या कौशिक**

पिता/पति का नाम:– श्री राजकुमार कौशिक

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम छतौना पोस्ट आफिस– हिर्री मांइस तहसील– तखतपुर जिला बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1671**

अभ्यर्थी का नाम :– **रतिकिरण जांगड़े**

पिता/पति का नाम:– श्री प्रमोद कुमार जांगड़े

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर बगीचापारा अमेरी बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1859**

अभ्यर्थी का नाम :– **कमलेश्वरी साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री संजय कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–क्वा0 न 0 3/डी, सड़क न 0 29 सेक्टर 7 भिलाई नगर दुर्ग, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1950**

अभ्यर्थी का नाम :– **शिवलता साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री सोनाराम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पोड़ी (राछा)पोस्ट आफिस– गोधना थाना व तहसील नवागढ़
जिला जांजगीर चांपा छ 0 ग 0,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2410**

अभ्यर्थी का नाम :– **तुलसी प्रधान**

पिता/पति का नाम:– श्री जगन्नाथ प्रधान

पत्र व्यवहार का पता:–नयागंज पुराना बडपारा रायगढ़ पिन 496001,
जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2730**

अभ्यर्थी का नाम :– **गुंजन स्वामी**

पिता/पति का नाम:– श्री किजीराम स्वामी

पत्र व्यवहार का पता:–राधाकृष्ण कालोनी वार्ड नंबर 15 जैजपुर ,
जिला– मंडला, (मध्यप्रदेश)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3245**

अभ्यर्थी का नाम :– **नंदनी चंद्रकार**

पिता/पति का नाम:– श्री भूषण लाल चंद्राकर

पत्र व्यवहार का पता:–शारदा पेट्रोल पंप के पास रायपुर रोड कुरूद धमतरी,
जिला– धमतरी, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3810**

अभ्यर्थी का नाम :– **ईशा**

पिता/पति का नाम:– श्री जयराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पलाड़ी खुर्द, पोस्ट आफिस– चोरिया, तहसील– बाराद्वार, पिन नं. 495687,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4039**

अभ्यर्थी का नाम :– **रजनी साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री यशवंत साहू

पत्र व्यवहार का पता:–पुराना संतोषी मंदिर के पास आशीष ट्रेडर्स गली चांटीडीह सरकंडा, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5097**

अभ्यर्थी का नाम :– **सरिता बंजारे**

पिता/पति का नाम:– श्री अनिल कुमार बंजारे

पत्र व्यवहार का पता:–स्मृति वन मेन गेट के सामने देविका विहार, मकान नम्बर 3032
राजकिशोर नगर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5144**

अभ्यर्थी का नाम :– **संतु हरणे**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 श्री सुधाकर हरणे

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 19, मकान नंबर 588, रामनगर शहदी उ सिंह मार्ग इंदिरा चौक सत्यम बेकरी व शारदा विद्यालय के पास , जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5164**

अभ्यर्थी का नाम :– **सविता पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री पदुमनाथ

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– धुरकोट, तहसील डभरा , जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5420**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रतिभा देवांगन**

पिता/पति का नाम:– श्री कमल कुमार देवांगन

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–सेतगंगा, पोस्ट आफिस– ऑ0–फास्टरपुर ,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5623**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनुराधा सारथी**

पिता/पति का नाम:– श्री श्याम लाल

पत्र व्यवहार का पता:–म.नं.–323 मोहल्ला महंतपारा, ग्राम व पोस्ट आफिस– तमनार,
तह.–तमनार ,
जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5759**

अभ्यर्थी का नाम :– **गरिमा वर्मा**

पिता/पति का नाम:– श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा

पत्र व्यवहार का पता:–हनुमान नगर मठपारा रायपुर ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6426**

अभ्यर्थी का नाम :– **विद्यमा सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री रेशमलाल

पत्र व्यवहार का पता:–विद्यमा सिंह, ग्राम–भाठापारा, पोस्ट आफिस– ऑ0–खैजा,
ब्लॉक–बलोदा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6448**

अभ्यर्थी का नाम :– **दुर्गा सिंह क्षत्री**

पिता/पति का नाम:– श्री रूप सिंह क्षत्री

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– जांजी, थाना–सीपत, तहसील– मस्तुरी , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7727**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुचित्रा बघेल**

पिता/पति का नाम:– श्री राम सिंह बघेल

पत्र व्यवहार का पता:–इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी फेस–टू एलआईजी ए–309 रायपुर , जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8317**

अभ्यर्थी का नाम :– **रूपा साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री अलखराम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–174/क, कोनारी, बस स्टैण्ड चौक वार्ड 12 पोस्ट आफिस–
पिसेगांव दुर्ग ,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8745**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रीति**

पिता/पति का नाम:– श्री छोटेलाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–बराही, पोस्ट आफिस– तहसील– तखतपुर , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8990**

अभ्यर्थी का नाम :– **मोंगरा ध्रुव**

पिता/पति का नाम:– श्री दुर्गा सिंह उइके

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 06, नगर पंचायत बोहरी बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9053**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुदर्शन प्रसाद यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री गंभीर प्रसाद यादव

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्र. 03, सॉई नगर उसलापुर बिलासपुर पिन 495003, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2513**

अभ्यर्थी का नाम :– **होमेश्वर सिंह कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री हरिलाल कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–अघरिया पारा मुकाम &पोस्ट आफिस– पोड़ी (दल्हा) तहसील– अकलतरा पिन 495552, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5486**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुदर्शन दास**

पिता/पति का नाम:– श्री हरिहर दास

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम छतौना, पोस्ट आफिस– हिर्री माईस पिन 495222, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7045**

अभ्यर्थी का नाम :– **मनीष कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री होरीलाल यादव

पत्र व्यवहार का पता:–क्वा.नं. 5/63 राजकिशोर नगर चन्दन मोपका बिलासपुर पिन 495006,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5169**

अभ्यर्थी का नाम :– **सरजू कुमार डहरिया**

पिता/पति का नाम:– श्री सियाराम डहरिया

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम बम्हनीन, पो आ. कटनई, तह अकलतरा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4869**

अभ्यर्थी का नाम :– **रितेशधर दीवान**

पिता/पति का नाम:– श्री योगेश धर दीवान

पत्र व्यवहार का पता:–कटनई, तहसील अकलतरा,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8885**

अभ्यर्थी का नाम :– **चंद्रप्रकाश साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री खेलन राम साहू

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड क्रमांक 02 गांधी नगर रतनपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3906**

अभ्यर्थी का नाम :– **सरोज कुमार साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री केशव प्रसाद साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम हाथीटिकरा, पोस्ट आफिस– बनारी, तहसील– जांजगीरए पिन नं. 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **59**

अभ्यर्थी का नाम :– **हलधर**

पिता/पति का नाम:– श्री शत्रुघन

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सतमरा पोस्ट आफिस– बेलौदी तहसील– गुण्डरदेही, जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **99**

अभ्यर्थी का नाम :– **विनोद कुमार साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री शिव कुमार साहू

पत्र व्यवहार का पता:–अरविंद नगर बंधवापारा सरकंडा चंद्रमौली शिव मंदिर के पास वार्ड नं. 65 बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **286**

अभ्यर्थी का नाम :– **पवन कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री गिरधर

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– बम्हनीडीह, बिजली ऑफिस के पास ग्राम बम्हनीडीह, पिन नं. 495660 , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **545**

अभ्यर्थी का नाम :– **नरेन्द्र कुमार राठौर**

पिता/पति का नाम:– श्री सुरेश कुमार राठौर

पत्र व्यवहार का पता:–व्ही.आई.पी. सीटी कॉलोनी नैला, तहसील जांजगीर जिला
जांजगीर–चांपा छ.ग. 495695,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **794**

अभ्यर्थी का नाम :– **आकाश कुमार श्रीवास**

पिता/पति का नाम:– श्री मुकेश कुमार श्रीवास

पत्र व्यवहार का पता:–संजय नगर वार्ड क्रमांक 04 नगर पंचायत जैजैपुर,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1047**

अभ्यर्थी का नाम :– **महेन्द्र कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री दशरथ लाल यादव

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम भिलाई पोस्ट आफिस– डोंगरी तहसील बलौदा पिन 495559, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1112**

अभ्यर्थी का नाम :– **कोमल सिंह यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री कामता सिंह यादव

पत्र व्यवहार का पता:–पुरानी सिंचाई कॉलोनी जांजगीर,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1279**

अभ्यर्थी का नाम :– **सत्येन्द्र कुमार साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व० महादेव प्रसाद साहू

पत्र व्यवहार का पता:–दिव्या किराना स्टोर्स पथर्रा मोड़ राजिम जिला गरियाबंद, जिला– गरियाबंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1485**

अभ्यर्थी का नाम :– **देवेन्द्र साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री रामार्जुन

पत्र व्यवहार का पता:–न.प.सरगांव पोस्ट आफिस– सरगांव तहसील पथरिया, जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1989**

अभ्यर्थी का नाम :– **निखिल कुमार यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री छतराम यादव

पत्र व्यवहार का पता:–नहरिया बाबा रोड, शिव मंदिर नहर पुल यादव चौक के पास वार्ड नं. 18, जांजगीर ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2016**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रदीप बघेल**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 श्री तोरणलाल बघेल

पत्र व्यवहार का पता:–हरिओम नगर वार्ड क्र. 07 चौकी रोड डोगरगांव पिन 491661, जिला– राजनांगदगांव, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2028**

अभ्यर्थी का नाम :– **सूर्यकान्त**

पिता/पति का नाम:– श्री महेन्द्र सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 09 शिवमोहल्ला ग्राम ऊनी पोस्ट आफिस– खम्हरिया पिन 495559,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2166**

अभ्यर्थी का नाम :– **संदीप यादव**

पिता/पति का नाम:– श्री विजय यादव

पत्र व्यवहार का पता:–क्वाटर नंबर ए–1/8 सिंचाई कॉलोनी दर्री जमनीपाली , जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2197**

अभ्यर्थी का नाम :– **घनश्याम प्रसाद**

पिता/पति का नाम:– श्री भूधर प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–द्वारा शीला सोनी महिन्द्रा ट्रेक्टर शो रूम के सामने लवन रोड
बलौदाबाजर,
जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2219**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिल कुमार पटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री गीता प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सर्वमंगला नगर दुरपा पोस्ट आफिस– दुरपा पिन 495454, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2540**

अभ्यर्थी का नाम :– **विमल कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री रामकुमार

पत्र व्यवहार का पता:–स्कूल चौक सिदार पारा मड़वा चांपा, पोस्ट आफिस– बसंतपुर पिन 495669,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2831**

अभ्यर्थी का नाम :– **टिकेन्द्र कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री पवन कुमार चन्द्राकर

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम वर्मा किराया भंडार छावनी भिलाई वार्ड क्र 0 40 पोस्ट आफिस– हाउसिंग बोर्ड 490026, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2981**

अभ्यर्थी का नाम :– **भूपेश गजेन्द्र**

पिता/पति का नाम:– श्री भेषज गजेन्द्र

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–सेन्दरी, पोस्ट आफिस– रामाटोला, तहसील–लालबहादुर नगर डोंगरगढ 491557, जिला– राजनांगदगांव, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3002**

अभ्यर्थी का नाम :– **आलोक कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री समेलाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–तागा, पोस्ट आफिस– तागा, साहूपारा वार्ड नं.–16,
तहसील–अकलतरा, 495668,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3091**

अभ्यर्थी का नाम :– **किरण कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 श्री केदारनाथ

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– रानीगॉव तहसील– रतनपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 3113

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रकाश निर्मलकर**

पिता/पति का नाम:– श्री दिनेश कुमार निर्मलक

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नंबर ई डब्ल्यू एस 178 महाराणा प्रताप नगर पोस्ट आफिस– कोसाबाड़ी जिला कोरबा, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3224**

अभ्यर्थी का नाम :– **भूपेश्वर**

पिता/पति का नाम:– श्री कैलाश कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–अर्जुनी टिकरी वार्ड न 0 9 पोस्ट आफिस– अर्जुन्दा बालोद, जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3355**

अभ्यर्थी का नाम :– **महेश मौर्य**

पिता/पति का नाम:– श्री राजनारायण मौर्य

पत्र व्यवहार का पता:–टिकरापारा रामदास नगर पोस्ट आफिस– ऑफिस के पास
बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3656**

अभ्यर्थी का नाम :– **पुनीराम निषाद**

पिता/पति का नाम:– श्री मिलन निषाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम देवरहा, पोस्ट आफिस– परसाडीह, तहसील– बिलाईगढ, थाना बिलाईगढ, जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3805**

अभ्यर्थी का नाम :– **सरोज कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री अशोक कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम नवापारा, पोस्ट आफिस– बिरकोनी, तहसील– अकलतरा, पिन 495552, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3866**

अभ्यर्थी का नाम :– **भूषण लाल**

पिता/पति का नाम:– श्री मोहन लाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम कोड़िया, पोस्ट आफिस– पाउबारा, थाना उतई, तहसील– दुर्ग
पिन 491107,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4242**

अभ्यर्थी का नाम :– **लव कुमार साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री श्यामाचरण साहू

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नंबर 1585 वार्ड 58 भामाषाह स्कूल के सामने छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा रायपुर पिन कोड 492001, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4440**

अभ्यर्थी का नाम :– **गोपाल कुमार जायसवाल**

पिता/पति का नाम:– श्री संतोष कुमार जायसवाल

पत्र व्यवहार का पता:–बसंत लाल जायसवाल ग्राम लाटाखार एनटीपीसी प्लांट रोड
तहसील कटघोरा ,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4766**

अभ्यर्थी का नाम :– **नीलकमल साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री लोमस राम साहू

पत्र व्यवहार का पता:– डोंगरीपारा ग्राम नवागांव सल्का तहसील कोटा ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4806**

अभ्यर्थी का नाम :– **केवल राम**

पिता/पति का नाम:– श्री छननू राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– करेली छाती, विकास खंड मगरलोड पिन कोड 493662,
जिला– धमतरी, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4905**

अभ्यर्थी का नाम :– **बसंत कुमार सोनी**

पिता/पति का नाम:– श्री जनकलाल सोनी

पत्र व्यवहार का पता:–बाजारपारा, निरतू, पोस्ट आफिस– घूटकू, बिलासपुर, पिन– 495112,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5061

अभ्यर्थी का नाम :– **गजेन्द्र कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बाला राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– धनेली,
जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5102**

अभ्यर्थी का नाम :– **नर्मदा प्रसाद साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री लालजी साहू

पत्र व्यवहार का पता:–जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सामने एण्डूज वार्ड क्रमांक 19
डिलवापारा ,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5210**

अभ्यर्थी का नाम :– **टोमेश्वर प्रसाद कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री होलीराम कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम तुलसी, पोस्ट आफिस– मिसदा, व्हाया शिवरीनारायण पिन कोड–495557,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6396**

अभ्यर्थी का नाम :– **वेदप्रकाश साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री थनवार साहू

पत्र व्यवहार का पता:–संत कबीर वार्ड 17 उरकुरा बीरगांज ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6639**

अभ्यर्थी का नाम :– **दानेश्वर कृष्ण कश्यप**

पिता/पति का नाम:– श्री खेमनाथ कश्यप

पत्र व्यवहार का पता:–जयहिंद नगर अकलतरा वार्ड नं. 02, अकलतरा पिन 495552, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6647**

अभ्यर्थी का नाम :– **भुनेश्वर**

पिता/पति का नाम:– श्री गोविन्द

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम मुटपुरी, बाजार पारा, पोस्ट आफिस– मउ, पिन 491340, जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7659**

अभ्यर्थी का नाम :– **कौशलेश प्रसाद सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री जगदीश सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– बंगुरकेला, तहसील– दुलदुला, पिन 496334,
जिला– जशपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8116**

अभ्यर्थी का नाम :– **घनश्याम प्रसाद**

पिता/पति का नाम:– श्री सेवाराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–संगवाकापा, पो.ऑ.–देवरी ,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8695**

अभ्यर्थी का नाम :– **पंकज साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री पन्ना लाल साहू

पत्र व्यवहार का पता:–कैलाश नगर वार्ड –02 विवेकानंद स्कूल के पास कवर्धा ,
जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9045**

अभ्यर्थी का नाम :– **नीलकमल साहू**

पिता/पति का नाम:– श्री सुकुल साहू

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम कुरूद, पोस्ट आफिस– पाण्डुका, तहसील– छुरा, पिन 492109,
जिला– गरियाबंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 402

अभ्यर्थी का नाम :– **चंद्रमोहन जोशी**

पिता/पति का नाम:– श्री एस.एल. जोशी

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 24 अमरैयापारा जांजगीर ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2393**

अभ्यर्थी का नाम :– **गवर्नर सिंग**

पिता/पति का नाम:– श्री श्यामरतन लाल

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 08 गुरू घासीदास वार्ड, नगर पंचायत&पो.&थाना तुमगॉव
महासमुंद पिन 493445,
जिला– महासमुंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3402**

अभ्यर्थी का नाम :– **ताराचंद्र माहेश्वरी**

पिता/पति का नाम:– श्री हरवंश माहेश्वरी

पत्र व्यवहार का पता:–हरदीडीह, ग्राम नगोई, पोस्ट आफिस– बैमानगोई, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3529**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिल कुमार प्रेमी**

पिता/पति का नाम:– श्री दल प्रताप प्रेमी

पत्र व्यवहार का पता:–गदहाभाठा पोस्ट आफिस– सलौनीकला, तहसील– भटगांव,
सारंगढ–बिलाईगढ़,
जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4250**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रकाश कांत कुर्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री प्यारे लाल कुर्रे

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 09 ग्राम उच्चभिट्ठी चांपा,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5408**

अभ्यर्थी का नाम :– **रवि कुमार सूर्यवंशी**

पिता/पति का नाम:– श्री सरजू राम सूर्यवंशी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–चोरभट्ठी, पोस्ट आफिस– देव किरारी, तहसील– पामगढ़ , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5519**

अभ्यर्थी का नाम :– **अखिलेश कुमार खरे**

पिता/पति का नाम:– श्री राकेश कुमार खरे

पत्र व्यवहार का पता:–संत रविदास नगर करबला पिन–495001 बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6638**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुरेन्द्र कुमार पाटले**

पिता/पति का नाम:– श्री तारन दास पाटले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम झाल, पोस्ट आफिस– गाड़ाभोर, तहसील– नवागढ़, पिन 491337,
जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7702**

अभ्यर्थी का नाम :– **विजय**

पिता/पति का नाम:– श्री जगदीश

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम गोल्हापारा, पोस्ट आफिस– चिल्फी, तहसील– लोरमी, , जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8417**

अभ्यर्थी का नाम :– **आकाश कुमार राजगीर**

पिता/पति का नाम:– श्री घनश्याम राजगीर

पत्र व्यवहार का पता:–राजगीर मोहल्ला जूना बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8847**

अभ्यर्थी का नाम :– **राहुल तेवलकर**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व 0 जलेश्वर तेवलकर

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नम्बर–145, समृद्धि विहार कॉलोनी कोनी बिलासपुर , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **452**

अभ्यर्थी का नाम :– **नीलेश कुमार मनहर**

पिता/पति का नाम:– श्री लक्ष्मी प्रसाद मनहर

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम राहौद वार्ड नं. 5 पोस्ट आफिस– राहौद तहसील– पामगढ़, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1480**

अभ्यर्थी का नाम :– **राकेश कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री केजूराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम मेण्ड्रा पोस्ट आफिस– सैदा तहसील सकरी, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1547**

अभ्यर्थी का नाम :– **जोगशरण मिरी**

पिता/पति का नाम:– श्री खुरसाल मिरी

पत्र व्यवहार का पता:–एच. नं. 857 आंगनबाड़ी के सामने, राजीवनगर एन.टी.पी.सी. दर्री कोरबा,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1564**

अभ्यर्थी का नाम :– **संतोष कुमार बड़ाईक**

पिता/पति का नाम:– श्री किसुनराम

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 3, डेयरी फार्म रोड, अनुज किराना स्टोर के पास गांधीनगर अम्बिकापुर,
जिला– सरगुजा स्थान अंबिकापुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1663**

अभ्यर्थी का नाम :– **धर्मेश राज नाग**

पिता/पति का नाम:– श्री देवशरण नाग

पत्र व्यवहार का पता:–डी. 211 सेक्टर 4 देवेन्द्र नगर रायपुर,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1738**

अभ्यर्थी का नाम :– **दुष्यंत कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बद्रीनारायण

पत्र व्यवहार का पता:–बेलादुला गुरूघासीदास वार्ड तह जैजैपुर ,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2783**

अभ्यर्थी का नाम :– **आनंद कुमार पाटले**

पिता/पति का नाम:– श्री अशोक कुमार पाटले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खिसोरा वार्ड क्र 0 6 अकलतरा,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3266**

अभ्यर्थी का नाम :– **रमेश कुमार लहरे**

पिता/पति का नाम:– श्री कार्तिकराम लहरे

पत्र व्यवहार का पता:–सेठ किरोड़ीमल चौक ढिमरापुर पुरानी बस्ती, वार्ड नं. 05 रायगढ़, जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3885**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रदीप कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बुद्धू राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम कोसमा, पोस्ट आफिस– जरहा गांव, तहसील– मुगेली, पिन नं. 495330,
जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4347**

अभ्यर्थी का नाम :– **जीतू कुमार रात्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री छतलाल रात्रे

पत्र व्यवहार का पता:–c/o जी.,ल. भास्कर EWS–246/247 MP Nagar कोरबा
पिन.495677,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7998**

अभ्यर्थी का नाम :– **शुभम कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री मेलाराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–सिलपहरी, पो.आ.–धुमा,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1025**

अभ्यर्थी का नाम :– **राजकमल**

पिता/पति का नाम:– श्री स्व०रविन्द्रनाथ

पत्र व्यवहार का पता:–एस.ई. 227 सीएसईबी कालोनी कोसाबाडी कोरबा ,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का
स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1525**

अभ्यर्थी का नाम :– **जय प्रकाश मेश्राम**

पिता/पति का नाम:– श्री बाबूलाल

पत्र व्यवहार का पता:–नजरलाल पारा, बंगाली भोजनालय के पास किर्तीनगर सिरगिट्टी वार्ड क्र. 12 बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1698**

अभ्यर्थी का नाम :– **विजय कुमार राय**

पिता/पति का नाम:– श्री काशीराम राय

पत्र व्यवहार का पता:–सत्ताईस खोली चौक जब्बल एंड संस के बगल में बिलासपुर, जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3307**

अभ्यर्थी का नाम :– **नन्दकिशोर डहरिया**

पिता/पति का नाम:– श्री सुरेन्द्र कुमार डहरिया

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नं0 266 जी/1 कुरदा चांपा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3622**

अभ्यर्थी का नाम :– **गोपाल दास खुटेल**

पिता/पति का नाम:– श्री गांधी राम खुटेल

पत्र व्यवहार का पता:–म.क्र. 15/718 ठाकुर देव मंदिर के पास, जोरापारा रायपुर, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3629**

अभ्यर्थी का नाम :– **धर्मेन्द्र कुमार रात्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री सरवन रात्रे

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नं. 267 एम एम गोल्ड कालोनी इंद्रपुरी तिफरा ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4216**

अभ्यर्थी का नाम :– **रामेश्वर**

पिता/पति का नाम:– श्री सैनदास

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम बासीन सतनाम चौकए पोस्ट आफिस– करंजा भिलाई, दुर्ग, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4791**

अभ्यर्थी का नाम :– **गोकुल कृष्ण महिलाने**

पिता/पति का नाम:– श्री गौरी शंकर महिलाने

पत्र व्यवहार का पता:–अशोका पब्लिक स्कूल सारंगढ ,
जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4834**

अभ्यर्थी का नाम :– **साहिल कुमार मिरी**

पिता/पति का नाम:– श्री अनिल कुमार मिरी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– कुरदा सतनामी पारा बरगद चौक कुरदा,
तहसील चांपा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5227**

अभ्यर्थी का नाम :– **अमित कुमार बघेल**

पिता/पति का नाम:– श्री बरातुराम बघेल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– कोतरा पिन कोड–496001,
जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5761

अभ्यर्थी का नाम :– **टेकचंद रात्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री सेतराम

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– चारपारा, थाना–मालखरौदा , जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7128**

अभ्यर्थी का नाम :– **मोनेरा डहरिया**

पिता/पति का नाम:– श्री मगन डहरिया

पत्र व्यवहार का पता:–मोतीलाल नेहरू बस्तीपारा आमासिवनी रायपुर पिन 493111, जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7422**

अभ्यर्थी का नाम :– **श्रवण कुमार चौहान**

पिता/पति का नाम:– श्री सुनाऊ राम चौहान

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– तारापुर, तहसील– रायगढ, जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8278**

अभ्यर्थी का नाम :– **खगेष्वर**

पिता/पति का नाम:– श्री घासीराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम मडवा पोस्ट आफिस– मटिया तहसील टुण्डा ,
जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8410**

अभ्यर्थी का नाम :– **दुष्यंत सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री गुनाराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–भगवानपाली, पोस्ट आफिस– ओखट, तहसील– मस्तुरी , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **411**

अभ्यर्थी का नाम :– **टेकसिंह जांगड़े**

पिता/पति का नाम:– श्री रामदास जांगड़े

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नं. 17 पुजा नगर कवर्धा, घुघरी रोड पोस्ट आफिस–
तहसील– कवर्धा, पिन नं. 491995,
जिला– कबीरधाम (कवर्धा), (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 512

अभ्यर्थी का नाम :– **देवेन्द्र कुमार दोहरे**

पिता/पति का नाम:– श्री सीताराम दोहरे

पत्र व्यवहार का पता:–वेस्ट चिरमिरी वार्ड नं. 2 पोडी प्रेमनगर, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी भरतपुर छ.ग.,
जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 807

अभ्यर्थी का नाम :– **दिव्या बंजारे**

पिता/पति का नाम:– श्री सुरेश कुमार बंजारे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– कुरदा, तहसील– चांपा,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 922

अभ्यर्थी का नाम :– **नंदकुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री कामता प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम ठेलकाबांधा, पोस्ट आफिस– खोला, तहसील– अभनपुर, पिन नं. 493661,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **982**

अभ्यर्थी का नाम :– **रोशन कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री दुबे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम लेवई पोस्ट आफिस– खिसोरा तह बलौदा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **995**

अभ्यर्थी का नाम :– **मोनिका कुर्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री बिहारी कुर्रे

पत्र व्यवहार का पता:–लवसिंह गली वार्ड नं. 16 कुदुदण्ड बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1840**

अभ्यर्थी का नाम :– **रंजीत चेलकर**

पिता/पति का नाम:– श्री भुवन लाल चेलकर

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड.नं.10 बस्तीपारा पोड़ी दल्हा तहसील– अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 2211

अभ्यर्थी का नाम :– **त्रिलोक चंद**

पिता/पति का नाम:– श्री रामनारायण

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम बासीन वार्ड क्र 0 6 सतनाम चौक पोस्ट आफिस– आफिस करंजा भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ 0 ग 0 पिन 490024, जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2626**

अभ्यर्थी का नाम :– **अमरनाथ**

पिता/पति का नाम:– श्री राधेलाल

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 29 पोड़िबहार कोसाबाड़ी कोरबा 495677, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2929**

अभ्यर्थी का नाम :– **नारायण कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री गोपीराम

पत्र व्यवहार का पता:–औरी आर, पोस्ट आफिस– जामगांव आर, तहसील– पाटन दुर्ग 491223,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3327**

अभ्यर्थी का नाम :– **हरि शंकर कुर्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री बोधराम कुर्रे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पोस्ट आफिस– धुरकोट ,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3365**

अभ्यर्थी का नाम :– **रंजीता डहरिया**

पिता/पति का नाम:– श्री डी.आर. डहरिया

पत्र व्यवहार का पता:–सिचाई कॉलोनी अकलतरा ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4055**

अभ्यर्थी का नाम :– **चिरंजीव कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री तेरस राम

पत्र व्यवहार का पता:–केरा रोड सेमरा तहसील– नवागढ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4504**

अभ्यर्थी का नाम :– **शशांक आडिले**

पिता/पति का नाम:– श्री इन्द्रजीत आडिले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खेढ़ा कॉलोनी क्वार्टर नंण् जी टाईप जी 1 तहसील मुंगेली, जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4849**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रभात कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री छोटूराम

पत्र व्यवहार का पता:–वार्ड नंबर 8 सतनामी पारा ग्राम रसेडा, पोस्ट आफिस– अर्जुनी, थाना व तहसील अकलतरा पिन कोड 495552, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5087

अभ्यर्थी का नाम :– **धनंजय नायक**

पिता/पति का नाम:– श्री बुडू नायक

पत्र व्यवहार का पता:–छिपीया पारा वार्ड नम्बर 09 महासमुंद ,
जिला– महासमुंद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5475**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिल कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बिसाहू राम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम गुमिया, पोस्ट आफिस– पन्तोरा, तहसील– करतला, पिन 495446,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5742**

अभ्यर्थी का नाम :– **कमलेश कठौतिया**

पिता/पति का नाम:– श्री धनेश्वर कठौतिया

पत्र व्यवहार का पता:–मुकाम व पोस्ट आफिस– तुस्मा, वार्ड नम्बर–01, तहसील–नवागढ़ ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6388**

अभ्यर्थी का नाम :– **सूरज कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री जगतराम खाण्डे

पत्र व्यवहार का पता:–बजरंग नगर सकरी, तहसील– सकरी ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6671**

अभ्यर्थी का नाम :– **नरोत्तम धिरहे**

पिता/पति का नाम:– श्री छतराम धिरहे

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– कुसमुल, तहसील– डभरा, ,
जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6698**

अभ्यर्थी का नाम :– **टहल सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री पुरन सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–कातुल बोर्ड सतनाम चौक वार्ड क्र. 59 पोस्ट आफिस– एस.ए.एफ. लाईन भिलाई दुर्ग 490022 , जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7748**

अभ्यर्थी का नाम :– **राज कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री कमल प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम पुरेना, पोस्ट आफिस– पूरा, थाना– तहसील– तखतपुर, पिन 495330,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7880**

अभ्यर्थी का नाम :– **शुभम कोरी**

पिता/पति का नाम:– श्री कृष्ण कुमार कोरी

पत्र व्यवहार का पता:–एम. आई. जी 49 मारूती विहार कॉलोनी महोदा बाजार रायपुर , जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7934**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनूप सिंह डहरिया**

पिता/पति का नाम:– श्री दलपत सिंह डहरिया

पत्र व्यवहार का पता:–एम. जी. आई 2–49 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवरीखुर्द ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8167**

अभ्यर्थी का नाम :– **धर्मेन्द कुमार धिरहे**

पिता/पति का नाम:– श्री तेजराम धिरहे

पत्र व्यवहार का पता:–बरपाली रोड़ गेवरा बस्ती कुसमुण्डा कोरबा ,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8383**

अभ्यर्थी का नाम :– **निमेश**

पिता/पति का नाम:– श्री सुखदेव

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–चिचोली, पोस्ट आफिस– टेमरी ,
जिला– बेमेतरा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3847**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुनीता पाटले**

पिता/पति का नाम:– श्री बीरसिंह लाल पाटले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम भलपहरी, पोस्ट आफिस– पड़निया, पिन 495454, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8476**

अभ्यर्थी का नाम :– **सीमा**

पिता/पति का नाम:– श्री अशोक कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–पीपरखार कला, पोस्ट आफिस– बोरतलाव, तहसील– लाल बहादुर नगर,
जिला– राजनांगदगांव, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8681**

अभ्यर्थी का नाम :– **पद्मावती गेंदले**

पिता/पति का नाम:– श्री मयाराम गेंदले

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–मोहभट्ठा, पोस्ट आफिस– सोढ़ी(म0), ब्लॉक–पथरिया , जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1117**

अभ्यर्थी का नाम :– **पूजा वैभव**

पिता/पति का नाम:– श्री कलाराम वैभव

पत्र व्यवहार का पता:–एन.एच. 10 हसदेव विहार कलेक्टरेट कॉलोनी जांजगीर,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3638**

अभ्यर्थी का नाम :– **लकेश्वरी**

पिता/पति का नाम:– श्री रामप्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–अमलीपाली अ पोस्ट आफिस– छिन्द तहसील– सारंगढ़,
जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4930**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रेरणा कुटारे**

पिता/पति का नाम:– श्री महेन्द्र कुमार कुटारे

पत्र व्यवहार का पता:–कचहरी वार्ड नंबर 38 बैजनाथ पारा दुर्ग,,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6017**

अभ्यर्थी का नाम :– **सृष्टि महिलांगे**

पिता/पति का नाम:– श्री बैसाखुराम

पत्र व्यवहार का पता:–मनियारी चौक, पोस्ट आफिस– सरागांव, तहसील–पथ्रिया, , जिला– मुंगेली, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **965**

अभ्यर्थी का नाम :– **ज्योति मनहर**

पिता/पति का नाम:– श्री लक्ष्मी प्रसाद

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम राहौद वार्ड नं. 5 तहसील पामगढ पो.आ. राहौद , जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1596**

अभ्यर्थी का नाम :– **प्रियंका रात्रे**

पिता/पति का नाम:– श्री रामचरण रात्रे

पत्र व्यवहार का पता:–रामायण नगर सेंटर कोनी बिलासपुर,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2909**

अभ्यर्थी का नाम :– **ज्योति कमलसेन**

पिता/पति का नाम:– श्री अजय कमलसेन

पत्र व्यवहार का पता:–मकान न 0 236 वार्ड न 0 17 सिल्ली, तहसील– पाली, कोरबा 495442,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **2969**

अभ्यर्थी का नाम :– **सावित्री सारंग**

पिता/पति का नाम:– श्री श्रवण कुमार सारंग

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–टांडा, पोस्ट आफिस– अकोली (मांढर), थाना–धरसीवा 493111,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5374**

अभ्यर्थी का नाम :– **कविता बंजारे**

पिता/पति का नाम:– श्री चुन्नीलाल बंजारे

पत्र व्यवहार का पता:–डॉ0 वाधवानी नर्सिग होम के पास कटोरा तालाब रायपुर , जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7528**

अभ्यर्थी का नाम :– **भारती**

पिता/पति का नाम:– श्री शत्रुहन

पत्र व्यवहार का पता:–दिप्ती विहार कालोनी जांजगीर ,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8125**

अभ्यर्थी का नाम :– **मंजू**

पिता/पति का नाम:– श्री कमल कान्त

पत्र व्यवहार का पता:–न0प0–मल्हार, तहसील– मस्तुरी ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4920**

अभ्यर्थी का नाम :– **रीना**

पिता/पति का नाम:– श्री गजेन्द्र

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–सेमरा, पोस्ट आफिस– सिंघरी, तहसील–बेलतरा, ब्लाक–बिल्हा, पिन–495442,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font–Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5031**

अभ्यर्थी का नाम :– **सुधा**

पिता/पति का नाम:– श्री कन्हैया लाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–सोनडीह, पोस्ट आफिस– चंगोरी,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5647**

अभ्यर्थी का नाम :– **ज्योति बंजारे**

पिता/पति का नाम:– श्री अंजोर दास बंजारे

पत्र व्यवहार का पता:–भैंसबोड, वार्ड नम्बर 20, आई.टी.आई. के पीछे, पोस्ट आफिस– दगोरी, तहसील– बिल्हा बिलासपुर , जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6439**

अभ्यर्थी का नाम :– **दामिनी लहरी**

पिता/पति का नाम:– श्री भगवती लहरी

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– रवान, तहसील– बलौदाबाजार , जिला– बलौदाबाजार–भाठापारा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **7962**

अभ्यर्थी का नाम :– **रामेश्वरी**

पिता/पति का नाम:– श्री रामशरण

पत्र व्यवहार का पता:–एम.आई.जी.–आई/2573 हाऊसिंग बोर्ड इंण्डसिट्रयल एरिया
भिलाई ,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **9010**

अभ्यर्थी का नाम :– **चेल्सी**

पिता/पति का नाम:– श्री कौशल कुमार

पत्र व्यवहार का पता:–शा.औ.प्र.सं. तिल्दा नेवरा, पोस्ट आफिस– तिल्दा, ,
जिला– रायपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3409**

अभ्यर्थी का नाम :– **शिव कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री बुधलाल

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम भीखमपुरा, पो पिण्डरी, तहसील– सारंगढ़ ,
जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5725

अभ्यर्थी का नाम :– **इन्द्रजीत**

पिता/पति का नाम:– श्री बोधराम

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम व पोस्ट आफिस– बड़े रबेली, तहसील– मालखरौदा, जिला– सक्ती, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6673**

अभ्यर्थी का नाम :– **रामनाथ बघेल**

पिता/पति का नाम:– श्री जगत राम बघेल

पत्र व्यवहार का पता:–डॉ. अम्बेडकर नगर वार्ड क्र. 34 ओड़ीसा रोड जूटमील रायगढ़ , जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **249**

अभ्यर्थी का नाम :– **सतीश कुमार टंडन**

पिता/पति का नाम:– श्री धजाराम टंडन

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम नवलपुर, पोस्ट आफिस– ऑफिस कोथारी, व्हाया चांपा,
तहसील– करतला, पिन 495671,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3651**

अभ्यर्थी का नाम :– **कामता प्रसाद खुरसे**

पिता/पति का नाम:– श्री हरिचरण खुरसे

पत्र व्यवहार का पता:–मोहन नगर क्वा नं बी/02 दुर्ग,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4346**

अभ्यर्थी का नाम :– **कृष्णा**

पिता/पति का नाम:– श्री गुहाराम

पत्र व्यवहार का पता:–मु. बंसुला पो.कपिस्दा तह.बम्हनीडीहए जांजगीर चांपा
पिन.495660,
जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **3814**

अभ्यर्थी का नाम :– **अमित**

पिता/पति का नाम:– श्री रामेश्वर

पत्र व्यवहार का पता:–बिहाइंड बी.टी.आई जांजगीर वार्ड नं. 18 नैला पिन नं. 495668, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4719**

अभ्यर्थी का नाम :– **ब्रजेश भोइ**

पिता/पति का नाम:– श्री भगत राम भोइ

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम एकताल पोस्ट आफिस– नेतनागर, तहसील पुसौर, जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1145**

अभ्यर्थी का नाम :– **महेन्द्र कुमार पोर्ते**

पिता/पति का नाम:– श्री नन्द लाल पोर्ते

पत्र व्यवहार का पता:–म.न.115 बी.टी0 आई. कॉलोनी विवेकानंद मार्ग जांजगीर, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4453**

अभ्यर्थी का नाम :– **अभिराम**

पिता/पति का नाम:– श्री रामनाथ

पत्र व्यवहार का पता:–मु.पो. किरारी व्हाया नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 5209

अभ्यर्थी का नाम :– **भुवन सिंह**

पिता/पति का नाम:– श्री मनहरण सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम मडवारानी खरहरी, पोस्ट आफिस– जर्वे व्हाया भैसमा,
तहसील बरपाली ,
जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6967**

अभ्यर्थी का नाम :– **राजेन्द्र कुमार**

पिता/पति का नाम:– श्री चन्द्रभान सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–मडवामौहा, पोस्ट आफिस– गोपलपुर, तहसील– कटघोरा , जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **4868**

अभ्यर्थी का नाम :– **भूपेन्द्र राम**

पिता/पति का नाम:– श्री शेर बहादुर राम

पत्र व्यवहार का पता:– टपकरा, बाघर कोना, तहसील जशपुर,
जिला– जशपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **6630**

अभ्यर्थी का नाम :– **रविन्द्र भागत**

पिता/पति का नाम:– श्री आनंद राम भगत

पत्र व्यवहार का पता:–रामभाठा जवाहर नगर वार्ड नं. 04, रायगढ़ ,
जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **419**

अभ्यर्थी का नाम :– **ओमप्रकाश**

पिता/पति का नाम:– श्री बिसनाथ

पत्र व्यवहार का पता:–मकान नंबर 111 ग्राम व पोस्ट आफिस– बघमरा, तहसील– व जिला बालोद, पिन नं. 421226, जिला– बालोद, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **429**

अभ्यर्थी का नाम :– **राजेन्द्र पाल कंवर**

पिता/पति का नाम:– श्री घासी सिंह

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम खैरभवना, पोस्ट– पड़निया, तहसील–कटघोरा, जिला– कोरबा, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **1775**

अभ्यर्थी का नाम :– **रश्मि गोड़**

पिता/पति का नाम:– श्री अवधराम गोड़

पत्र व्यवहार का पता:– म.नं.–ए 219 अज्ञेय नगर बिलासपुर ,
जिला– बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 2207

अभ्यर्थी का नाम :– **कुलेश्वर प्रसाद धुरव**

पिता/पति का नाम:– श्री श्यामलाल धुरव

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम सडक नं0 81 म0न0 3/एफ सेक्टर 6 भिलाई नगर, पिन नं. 490006,
जिला– दुर्ग, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **5141**

अभ्यर्थी का नाम :– **अंजली ध्रुव**

पिता/पति का नाम:– श्री संतोष कुमार ध्रुव

पत्र व्यवहार का पता:–हाउस नम्बर 275/4 स्टेशन रोड़ रेलवे कॉलोनी मनेन्द्रगढ़ ,
जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र//

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8528**

अभ्यर्थी का नाम :– **अनिल कुमार किसान**

पिता/पति का नाम:– श्री रामलाल किसान

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम महापल्ली, पोस्ट आफिस– लोईंग तह रायगढ़ पिन 496001, जिला– रायगढ़, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा (छ०ग०)

// सहायक ग्रेड–3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र //

कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र दो प्रति में परीक्षार्थी प्रिंट करें, एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर परीक्षा दिनांक को कार्यालय में जमा करें ।

परीक्षा का नाम :– सहायक ग्रेड–3 (कौशल परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र :– सभागार कक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर।

परीक्षा तिथि :– 24–08–2025, समय– प्रातः 09:00 बजे से

रोल नंबर :– AG–3 **8606**

अभ्यर्थी का नाम :– **मीरा भगत**

पिता/पति का नाम:– श्री चिरंगु तिर्की

पत्र व्यवहार का पता:–ग्राम–टंगराटोली जुरगुम, तहसील– व पोस्ट आफिस– जशपुर , जिला– जशपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर(नीली स्याही से)

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

पहचान पत्र का नाम पहचान पत्र का आईडी नंबर

परीक्षार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

1– अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा कर उसे स्वप्रमाणित करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान किये जाने पर भिन्नता पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित भी किया जा सकता है।

2– कौशल परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की एक प्रति में फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर कर दस्तावेज सत्यापन के समय कायार्लय में जमा करना अनिवार्य है।

3– पहचान पत्र के संबंध में शासन द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेस, पेन् कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र) मान्य होगा, जिसे परीक्षार्थी को अपने साथ लेकर आना होगा।

4– अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– कौशल परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के कौशल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

6– कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षकों/ चयनकर्ता अन्य कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा।

7– कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

8– कौशल परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते है।

9– कौशल परीक्षा में नीली स्याही वाला पेन, पेन्सिल, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, की–बोर्ड के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

10– प्रवेश पत्र के पीछे भाग पर आमसूचना/परिपत्र का प्रिट करना अनिवार्य है।

11– कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode में ली जावेगी। Font– Lohit Devanagari, Font size–13, Paper Size– Legal, Margin Top–1.5 inch, left– 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing–1.5 inch, Justify.

12– 5000 की (Key) डिप्रेशन का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्पयूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि पर 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा कौशल परीक्षा 10 मिनट का होगा 5000 की डिप्रेशन के अनुपात में हिन्दी गद्यांश दिया जावेगा ।

13– केलकुलेटर, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिानिक उपकरण का उपयोग वर्जित है।

14– परीक्षा केन्द्र में की–बोर्ड उपलब्ध कराया जावेगा, परन्तु अभ्यर्थी चाहे तो अपना की–बोर्ड ला सकते है, जिसकी अनुमति होगी।

SHAILENDRA CHAUHAN

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रवेश पत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

//आम सूचना//

आमजन को यह सूचित किया जाता है कि, जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

आदेशानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

परिपत्र

कमांक 17327 /(Mis.) बिलासपुर, दिनांक 23/10/2024

"छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

Sd/-
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल